

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 1743 / 35-1, दिनांक: हाथरस: दिसम्बर: 17, 2022

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

विषय:-

जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी 0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं 0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि 0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र सं 0-08वी/यू 0पी 0/06/68/2022/एफ.सी./699 दिनांक 24.11.2022

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी 0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं 0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि 0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निम्नप्रकार निराकरण कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sl.No.	Observation	Reply
1	If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by the State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.	The permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by the State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc is inclosed. (संलग्नक-1)

भवदीय,



(डा 0 चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 1743

/ 35-1 दिनांक

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पो 0 लि 0, 65/2 संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(डा 0 चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।